

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- 24193 / पटना, दिनांक- 4.3.13/

प्रेषक,

डा० बी० राजेन्द्र
सचिव ।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
कार्य प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग
सभी अधीक्षण अभियंता,
कार्य अंचल, ग्रामीण कार्य विभाग
मुख्य अभियंता-1, 2, 3 एवं 4,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना ।

विषय :- मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के तहत पथों/पुलों के DPR बनाने के पूर्व स्व-हस्तलिखित प्रमाण-पत्र देने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक 2324 अनु० दिनांक 02.03.2013 द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के तहत पथों/पुलों के डी.पी.आर. बनाने के अग्रसारण-पत्र के साथ "एकल सम्पर्कता प्रमाण पत्र" (Single Connectivity Certificate) स्व-हस्तलिखित रूप में देने हेतु प्रपत्र संलग्न किया गया है। इस प्रपत्र के स्थान पर एक संशोधित प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है।

निर्देश दिया जाता है कि संलग्न संशोधित प्रपत्र में ही स्व-हस्तलिखित प्रमाण-पत्र देना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

अनु०: यथोक्त।

(बी० राजेन्द्र)
4.3.2013
सचिव

ज्ञापांक: 24193 पटना, दिनांक: 4.3.13

प्रतिलिपि: अभियंता प्रमुख/संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बी० राजेन्द्र)
4.3.2013
सचिव

ज्ञापांक: 24193 पटना, दिनांक: 4.3.13

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

(बी० राजेन्द्र)
4.3.2013
सचिव

प्रपत्र

एकल सम्पर्कता प्रमाण-पत्र (Single Connectivity Certificate)

(यह प्रमाण-पत्र कार्यपालक अभियंताओं द्वारा स्व-हस्तलिखित होना चाहिए)

प्रमाणित किया जाता है कि -

- (1) प्रस्तुत DPR जिस पथ/पुल के लिए बनाया गया है वह राज्य कोर नेटवर्क में सम्मिलित है तथा जिला के प्रखंड के State CNCPL/ state CUPL के क्रमांक पर अंकित है।
- (2) इस पथ/पुल को मैंने स्वयं देखा है तथा इस पर भ्रमण किया है। इस पथ/पुल का बनाया जाना जनोपयोगी है तथा इसके लिए सरकारी भूमि उपलब्ध है।
- (3) इस पथ/पुल से जिन बसावटों को सम्पर्कता प्रदान की जा रही है उन्हें पहले से किसी बारहमासी पथ से सम्पर्कता नहीं मिल रही है तथा प्रस्तावित पथ/पुल उन्हें बारहमासी एकल सम्पर्कता (Single Connectivity) ही प्रदान करेगा।

नाम -

पदनाम -